झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–835 वर्ष 2017

कन्हैया लाल .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. उपायुक्त, सरायकेला खरसावां, जो सरायकेला, डाकघर–सरायकला, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला खरसावां से कार्य कर रहे हैं।
3. अनुमण्डलीय अधिकारी, चांडिल, जो चांडिल, डाकघर–चांडिल, थाना–चांडिल, जिला–सरायकेला, खरसावां से कार्य कर रहे हैं।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री विकाश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री अतनु बनर्जी, जी0ए0

09/04.07.2018 याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया कि वे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 2004 से अक्टूबर, 2014 और उसके बाद फरवरी, 2017 से आज तक बिना किसी छुट्टी/सेवा में ब्रेक के नियमित रूप से और लगातार दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं, उन्हें पिछली सेवाओं और आयु में छूट का लाभ देते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियमित कर्मचारी के समान उसकी सेवाओं की नियमितीकरण/अवशोषण के मामले पर विचार करे।

आगे यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे नियमित कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए स्वीकार्य न्यूनतम वेतनमान याचिकाकर्ता को उसके नियमितीकरण तक दें।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकाश कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यह पर्याप्त होगा यदि इस रिट याचिका को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के रूप में माना जाए और कानून के अनुसार यथोचित आदेश उत्तरदाताओं द्वारा नियमितीकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए पारित किया जाए।

इसके उत्तर में प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है।

हालांकि, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को इेस पर कोई आपत्ति नहीं है।

जो भी हो, पार्टियों के प्रस्तुतीकरण से गुजरने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि इस रिट याचिका को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के रूप में माना जाए और याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं के समक्ष अपने नियमितीकरण को साबित करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता को इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर सभी संबंधित दस्तावेजों और इस आदेश की एक प्रति और (रिट याचिका) की एक प्रति के साथ उत्तरदाताओं से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया जाता है और इस तरह के अभ्यावेदन की प्राप्ति पर उत्तरदाता छह सप्ताह की एक और अवधि के भीतर युक्तियुक्त निर्णय लेंगे और याचिकाकर्ता को विधिवत सूचति करेंगे।

उपरोक्त निर्देश के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

[(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0]